माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर

(पुँवारका, सहारनपुर, उ0प्र0,पिन–247120)

website-msuniversity.ac.in E-mail id –registrar@msuniversity.ac.in

पत्रांक: 1078 / सम्ब0 / MSU / 2026–27 दिनांक: 27-11-2026

सेवा में,

प्राचार्य / प्राचार्या / सचिव,
समस्त सम्बद्ध विधि महाविद्यालय / संस्थान
माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय,
सहारनपुर।

विषयः–Immediate inspection of every Centre of Legal Education, verification of compliance with the Rules of Legal Education, 2008, discontinuance of impermissible weekend or evening arrangements, and submission of fresh University inspection reports within six weeks.

महोदय / महोदया,

उपर्युक्त विषयक Bar Council of India, नई दिल्ली के पत्र संख्या–BCI:D:4697 / 2026 दिनांक: 23.07.2026 के अनुपालन में विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्ध समस्त विधि महाविद्यालयों की जाँच हेतु समितियों का गठन किया गया था जिसकी सूचना प्रत्येक गठित समिति एवं विधि महाविद्यालयों को प्रेषित की गयी थी।

उक्त के सम्बन्ध में सूच्य है कि विश्वविद्यालय से सम्बद्ध 25 विधि महाविद्यालयों में से अभी तक 05 विधि महाविद्यालयों की जाँच आख्या विश्वविद्यालय को प्राप्त हुई है, शेष 20 महाविद्यालयों की जाँच आख्या अभी तक विश्वविद्यालय को प्राप्त नही हुई है।

अतः शेष 20 विधि महाविद्यालयों के प्राचार्य / सचिव को निर्देशित किया जाता है कि Bar Council of Indi, नई दिल्ली के पत्र संख्या– BCI:D:7329 / 2026 दिनांक 20.11.2026 में दिये गये दिशा–निर्देशों के आलोक में यदि आपके द्वारा दिनांक 12.12.2026 तक महाविद्यालय की जाँच कराकर जाँच आख्या विश्वविद्यालय को उपलब्ध नही करायी जाती है तो सत्र 2027–28 में आपके महाविद्यालय के प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगें जिसका समस्त उत्तरदायित्व महाविद्यालय के प्राचार्य / सचिव प्रबन्ध समिति का होगा।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अतिशीघ्र अपने महाविद्यालय की जाँच कराकर जाँच आख्या दिनांक 05.12.2026 तक विश्वविद्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें, जिससे कि वस्तुस्थिति से भारतीय विधिज्ञ परिषद, नई दिल्ली को अवगत कराया जा सकें। प्रकरण में किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जाय क्योंकि प्रकरण गम्भीर प्रकृति का है, तथा मा० सर्वोच्च न्यायालय से आच्छादित है। यदि प्रकरण में उच्च स्तर से जॉच न कराने वाले संस्थानों के विरुद्ध किसी भी प्रकार के आदेश / निर्देश प्राप्त होते है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित महाविद्यालय / संस्थान के प्राचार्य / सचिव की होगी।

भवदीय,

27-11-26

(कमल कृष्ण)
कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

01. कुलपति कार्यालय को मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
02. प्रो0 ओमदत्त, नोडल अधिकारी, माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर।
03. समिति के समस्त सदस्यों को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित महाविद्यालय / संस्थान का निरीक्षण कर निरीक्षण रिपोर्ट सील बन्द लिफाफे में विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
04. गार्ड फाइल।

सहा0कुलसचिव